

--- प्रेस नोट ---

थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही तीन गाडियों में भरी कुल 92 पेटी मिलावटी देशी शराब कुल (4140 पच्चे) गाडियों सहित बरामद कर पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- तस्करी कर लायी जा रही मिलावटी शराब के कारण देश/प्रदेश में हुई जन हानि के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08-11-2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम को जनपद बिजनौर हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही अवैध शराब की सूचना प्राप्त होने पर सेंट मेरी चौराहा थाना कोतवाली शहर बिजनौर पर चैकिंग कर रहे थे कि समय प्रातः 06-55 बजे दौराने चैकिंग बैराज की ओर से तीन गाडियां आयी जिनमें हरियाणा से तस्करी कर अवैध शराब लायी जा रही थी तो इन अभियुक्तगण द्वारा अपने को पुलिस से घिरता देख पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के ऊपर गाडी चढा दी जिसमें पुलिस बल बाल-बाल बचे और गाडी अनियंत्रित होकर सेंट मेरी चौराहे पर बने गोल चक्कर के चबूतरे से टकराकर रुक गयी। पुलिस बल के द्वारा तीनों गाडियों से कुल 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 02 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे। इन गाडियों में कुल 92 पेटी शराब मार्का फाईटर देशी शराब मसालेदार जो सर शादी लाल डिस्टलरी एण्ड कैमिकल वक्रर्स मंसूरपुर मुजफ्फरनगर निर्मित है बरामद हुई।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 750/20 धारा 307 भादवि
2. मु0अ0सं0 751/20 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि

गिरफ्तार/फरार अभियुक्तगण के नाम:-

- 1-नवीन धुल पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम पोंकरी खेडी थाना कोतवाली सदर जिला जींद हरियाणा (गिरफ्तार)
- 2-मोहन जांगडा पुत्र सुरेश निवासी शर्मा नगर थाना कोतवाली सदर जिला जींद हरियाणा (गिरफ्तार)
- 3-सुशील पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम गढ सहजानपुर थाना कोतवाली सदर जिला सोनीपत हरियाणा (गिरफ्तार)
- 4-राजकुमार पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ग्राम गढ सहजानपुर थाना कोतवाली सदर जिला सोनीपत हरियाणा (गिरफ्तार)
- 5-रफीक अहमद पुत्र अतीक अहमद निवासी हरिजन कालोनी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर (गिरफ्तार)
- 6-शिवम पुत्र योगेश निवासी ग्राम गोपालपुर थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर (फरार)
- 7-विपिन पुत्र सुरेन्द्र निवासी सुन्दरपुर थाना कोतवाली नगर जिला बिजनौर (फरार)

बरामदगी का विवरण:-

- 1-----कुल 92 पेटी फाईटर देशी शराब मार्का फाईटर देशी शराब मसालेदार सर शादी लाल डिस्टलरी एण्ड कैमिकल वक्रर्स मंसूरपुर मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित।
- 2-एक कार मारुती स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद है इसकी नम्बर प्लेट पर DL3CA 3809
- 3-एक कार हयुन्डई आई.20 रंग सफेद है इसकी आगे की नम्बर प्लेट पर DL8CAL 1788

4-एक कार मारुती.800 रंग सफेद है इसकी नम्बर प्लेट पर DL9CL 0993

गिरफ्तारी करने वाली टीम के नाम:-

- 1- उप निरी0 श्री हरवीर सिंह थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 2- उप निरी0 श्री जर्जर हुसैन थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 3- उप निरी0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 4- उप निरी0 श्री मनोज परमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 5- उप निरी0 श्री संजय कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 6-कान्स0 1002 खालिद स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 7-कान्स0 1225 अरूण कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 8-कान्स0 895 रणजीत मलिक स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 9-कान्स0 1326 मोहित शर्मा स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 10-कान्स0 12 दिग्विजय स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
- 11-कान्स0 1579 रईश अहमद सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर।
- 12-कान्स0 69 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
- 13-कान्स0 2166 अभिषेक तिवारी थाना कोतवाली शहर बिजनौर।



नोट— आज दिनांक 08.11.2020 को रिजर्व पुलिस लाईन बिजनौर के पुलिस सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक द्वारा सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि बालिकाओं और महिलाओं के साथ घटित अपराधों के संबंध में प्रभावी विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अपराधियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करे। लंबित विवेचनाओं का अभियान चलाकर निस्तारित करें। कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये। गोष्ठी में अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री/तस्करी, अवैध शस्त्र/फैक्ट्री/कारतूसों, जाली मुद्रा के अपराध में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा थानों पर लम्बित एस0आर0 केस, पोक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एक्ट की विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण व मॉनिटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। सभी थाना प्रभारियों को बताया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के बारे में अपने अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों/कॉलेजों में जाकर सभी महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जाये तथा थानों में खुली महिला हैल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी जाये। किसानों द्वारा खेतों में पराली/गन्ने की पत्तियां न जलाने के संबंध में किसानों को जागरूक किया जाये। आगामी त्यौहारों के मददे नजर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों (बस अड्डों, बाजारों आदि) पर विशेष दृष्टि रखी जाये। गोष्ठी के दौरान कोरोना वायरस व लाकडाउन के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिये गये। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण, सभी क्षेत्राधिकारीगण सहित सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व शाखा प्रभारी मौजूद रहे।





जिलाधिकारी बिजनौर/पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में समस्त राजपत्रित अधिकारी (पुलिस/प्रशासनिक) की बैठक कर अभियोजन, कारागार, नारी शक्ति अभियान व सुरक्षा संबंधी व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।



थाना नगीना देहात:- आज दिनांक 08.11.2020 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- तस्लीम पुत्र नत्थु 2- दानिश पुत्र सलीम निवासीगण सत्तार वाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 127/20 धारा 3/5/8 सी एस एक्ट मे गिरफ्तार किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 08.11.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1129/18 धारा 364 भादवि के वाछिंत अभियुक्त जागेश पुत्र महेन्द्र निवासी साईपुरम कालोनी थाना कोतवाली शहर को गिरफ्तार किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक-08.11.2020



थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चौकिंग अभियान चलाते हुये ।



थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चौकींग अभियान चलाते हुये ।

